बंगाल कागजकाल मजदूर संघ व अन्य

बनाम

टीटाघुर पेपर मिल्स क. लि.

(पी.बी. गजेन्द्रगडकर, के.एन. वांचू और के.सी. दास गुप्ता जजेज)

औधोगिक विवाद-बोनस-गणना-सकल लाभ-आयकर-कार्यशील पूंजी-पुनर्वास।

अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण के बीच एक औधोगिक विवाद उत्पन्न होने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने चार वर्षों (1955 से 1959 तक) में से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस के प्रश्न और अस्थायी श्रमिकों सहित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच इसके वितरण का निर्धारण करने के लिए विवाद को द्वितीय औधोगिक न्यायाधिकरण पश्चिम बंगाल को भेजा गया। पूर्ण पीठ फार्मूला लागू करने वाले साक्षियों की जाॅच करने पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बोनस देने के लिए चार वर्षों में से किसी में भी कोई अधिशेष नहीं था और इसलिए दावे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलार्थीगण ने विशेष अनुमति के साथ इस न्यायालय में अपील की। न्यायाधिकरण के फैसले पर अपीलार्थीगण ने चार आधारों पर आपत्ति की, अर्थात् न्यायाधिकरण ने (ए) वर्ष 1956-57 के लिए सकल लाभ (बी) सभी चार वर्षों के लिए आय कर (सी) सभी चार वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी की गणना (डी) सभी चार वर्षों के लिए पुनर्वास।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि स्टॉक के मूल्य में वृद्धि के कारण लाभ में कोई वृद्धि होती है तो यह अतिरिक्त लाभ होगा, जिसके लिए श्रमिकों द्वारा किसी क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है और गणना में ऐसे अतिरिक्त लाभ को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उस मामले में पुनर्मूल्यांकन का नतीजा यह नहीं था कि कच्चे माल की खपत के मामले में बढ़े मूल्य को ध्यान में रखा गया था। न्यायाधिकरण ने उस मामले के तथ्यों के अनुपात को वर्तमान मामले में लागू करने में इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया।

टाटा ऑयल मिल्स कॉ.लि. बनाम श्रमिक [1960] 1 S.C.R. 1,

यदि स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो वास्तविकता में डेबिट पक्ष पर सुसंगत लागत को उपभोग के रूप में दिखाने का कोई कारण नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में पुनर्मूल्यांकन मूल्य वह नहीं है जो मिलों के कच्चे माल आदि के उपभोग के लिए भुगतान किया है और इसलिए वास्तविक लाभ की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए, यह केवल मूल लागत मूल्य है, जिसे उस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखना होगा। कागज की बिक्री पर लाभ कागज स्टॉक के मूल मूल्यांकन पर होना चाहिए, न कि पुनर्मूल्यांकन के आंकड़े पर।

आगे पेज नंबर 962 द एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि. बनाम श्रमिक [1959] S.C.R. 925, में कहा गया कि "नहीं" शब्द गलती से छप

गया है तब अदालत ने जो निर्णय लिया, वह यह था कि देय कर की राशि की गणना करते समय न्यायाधिकरण को आय कर अधिनियम द्वारा दी गई रियायत को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायाधिकरण ने अनुमानित सामान्य मूल्य ह्रास को घटाने के बाद आय कर की गणना करने में गलती की थी, न कि वैधानिक मूल्य ह्रास की।

श्री मीनाक्षी मिल्स लि. बनाम श्रमिक [1958] S.C.R. 878, संदर्भित

आगे यह भी माना गया कि यह सुस्थापित है कि बैलेंस शीट को किसी दावे के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि भण्डार का कितना हिस्सा वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया गया है और कार्यशील पूंजी के रूप में भण्डार के एक हिस्से का उपयोग साबित करना होगा। नियोक्ता हलफनामे पर साक्ष्य द्वारा या अन्यथा श्रमिकों की प्रतिपरीक्षा द्वारा ऐसे साक्ष्य की सत्यता का विरोध करने का अवसर देने के बाद साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में कोई स्वीकार्य सबूत नहीं दिया गया और सबूत का तरीका भी उचित नहीं था।

पेटल्ड तुर्की रेड डाई वर्क्स लि. बनाम डाई व रासायनिक श्रमिक संघ, [1960] 2 S.C.R. 906, का उल्लेख किया गया है।

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्या निवेशक का उपयोग वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है। यह सवाल तथ्य का प्रश्न है और इसे समुचित साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान

मामले में न्यायाधिकरण यह मानने में गलत था कि सभी निवेशकों का उपयोग इस धारणा का समर्थन करने के लिए बिना किसी सबूत के कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है।

जहाॅ कच्चे माल आदि प्राप्त करने के लिए अग्रिम राशि दी गई है, वे निश्चित रूप से कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि का हिस्सा होंगे। लेकिन जहाॅ अग्रिम विशुद्ध रूप से ऋण है और जहाॅ व्यवसाय के उद्देश्य के लिए अग्रिम नहीं दिये गये हैं, इस तरह के उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।

आगे कहा गया है कि पुर्नवास का निर्धारण एक दीर्घकालिक मामला है और एक बार यह अभिनिर्धारित हो गया, तो यह नहीं चल सकता है। कीमतों में अचानक उल्लेखनीय वृद्धि या नए ब्लाॅकों के कारण होने की स्थिति को छोड़कर साल दर साल बढ़ने पर नये ब्लाॅक की खरीद के बाद कीमत में और वुद्धि हुई। पुनर्वास के लिए आवश्यक राशि पर पहुंचने के लिए उन सभी पुनर्वास राशियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिन्हें पिछले वर्षों में नियोक्ता को पुनर्वास के लिए अनुमति दी गई थी लेकिन इस बीच पुनर्वास के लिए उपयोग नहीं की गई थी।

द एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि. बनाम श्रमिक [1959] S.C.R. 925,

कंदेश स्पिनिंग और वीविंग मिल्स क.लि. बनाम द राष्ट्रीय गिरनी

कामगार संघ जलगांव,[1960] 2 S.C.R. 841, में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इससे पहले कि किसी भण्डार को पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं कहा जा सके, यह साबित किया जाना चाहिए कि इसे एक बाध्यकारी उद्देश्य के लिए उचित रूप से निर्धारित किया गया था या इसके पूरे या एक हिस्सा का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है और यह कहा जा सकता है कि दोनों शीर्षकों के तहत आने वाले भण्डार का केवल ऐसा हिस्सा ही पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई आरक्षित राशि निर्धारित की गई है जो बाध्यकारी है तो उसे सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है। उदाहरण के लिए ऋणपत्रों के देय होने पर उनका भुगतान करने के लिए आरक्षित रखा गया, मूल्यांकन या कच्चे माल के रूप में कार्यशील पूंजी को सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है। न्यायाधिकरण ने वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ इस निर्णय के अनुपात को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं. 550 व 551/1962

द्वितीय आद्योगिक न्यायाधिकरण 20 मार्च, 1961 के फैसले से विशेष अनुमति द्वारा अपील पश्चिम बंगाल केस नं. 1960, VIII-27

अजीत राॅय मुखर्जी, एम.के.रामामूर्थी, आर.के.गर्ग, डी.पी.सिंह व एस.सी. अग्रवाल, अपीलार्थीगण की ओर से।

अजीत राॅय मुखर्जी व एन.एच. हिंगोरानी, अपीलार्थी की ओर से

एम.सी. सेतालवाड, डी.एन. मुखर्जी व बी.एन. घोष, प्रत्यर्थीगण की ओर से

11 अप्रैल 1963 न्यायालय का निर्णय वांचू जज सुनाया गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह दो अपीलें द्वितीय औधोगिक न्यायाधिकरण, पश्चिम बंगाल के एक ही फैसले से उत्पन्न हुई हैं और उन्हें एक साथ निपटाया जाएगा। ये दो अपीलें पेपर मिल्स कंपनी टीटाघर नं.1, टीटाघर पेपर मिल्स कं. काकिनारा नं.2 के श्रमिकों की दो यूनियनों द्वारा की गई है। दोनों मिलों को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना गया है और एक ही प्रबन्धन के अधीन है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1955-56, 1956-57, 1957-58 व 1958-59 के लिए लाभ बोनस के लिए मिलों और यूनियनों के बीच विवाद को प्रत्येक वर्ष के लिए और बोनस की मात्रा निर्धारित करने के लिए और अस्थायी कामगारों सहित श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच, इसके वितरण की विधि निर्धारण करने के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया।

न्यायाधिकरण मामले का अवलोकन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर आया कि 1950 में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विकसित और इस न्यायालय द्वारा एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि. बनाम श्रमिक में अनुमोदित पूर्ण पीठ फाॅरमूला के आवेदन के बाद निष्कर्ष, कि किसी में

भी कोई अधिशेष नहीं था। बोनस देने के लिए चार साल का समय दिया गया और इसलिए श्रमिकों के दावे को खारिज कर दिया गया। इस पंचाट के खिलाफ दो यूनियनों द्वारा दो अपीलें की गई हैं।

कामगारों का यह तर्क है कि न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष की किसी भी वर्ष में कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं था, गलत है और इस संबंध में चार बिन्दुओ का आग्रह किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि न्यायाधिकरण कैसे गलत हुआ, यह निम्न हैः(1) 1956-57 के वर्षों के लिए न्यायाधिकरण की सकल लाभ की गणना गलत थी; (2) सभी चार वर्षों के लिए आयकर की गणना के मामले में न्यायाधिकरण गलत है; (3) सभी के लिए कार्यशील पूंजी की गणना के मामले में न्यायाधिकरण गलत है;और (4) न्यायाधिकरण सभी चार वर्षों के लिए पुनर्वास की गणना करने में गलत हो गया। हम इन बिन्दुआेंं पर एक-एक करके चर्चा करेंगे।

(1)इस संबंध में तर्क यह है कि वर्ष 1956-57 के लिए मिलों ने अपने कच्चे माल रासायनों और रंगाे आदि के स्टाॅक के साथ-साथ सामान्य भण्डार मशीनों फिनिशिंग्स इत्यादि और पेपर स्टाॅक के साथ-साथ कोयला स्टाॅक का भी पुनर्मूल्यांकन किया, इस पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप रूपये की वृद्धि हुई। 01 अप्रेल 1956 को इन चीजों का मूल्य 3881618 रूपये था। मूल्य में यह वृद्धि कच्चे माल सामान्य भण्डार और कोयले की खपत और कागज की बिक्री को परिलक्षित हुई, जिसके

परिणाम स्वरूप लाभ-और हानि खाते में इस पुनर्मूल्यांकन के आधार पर धन के संदर्भ में बढ़े हुए आंकड़े दिखाये। हालांकि वास्तव में यह राशि खर्च नहीं की गई थी। वृद्धि केवल पुनर्मूल्यांकन के कारण एक कागजी प्रविष्टी के कारण थी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि चूंकि न्यायाधिकरण ने मामले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए उसने वर्ष 1956-57 के लिए सकल लाभ की सही गणना नहीं की। इस संबंध में न्यायाधिकरण ने टाटा ऑयल मिल्स कं.लि. बनाम श्रमिक (1), मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि यदि मूल्य में वृद्धि के कारण लाभ में कोई वृद्धि हुई है तो स्टाॅक में वह एक अतिरिक्त लाभ होगा जिसके लिए श्रमिकों द्वारा किसी क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है और उपलब्ध अधिशेष की गणना में, इस तरह के बाहरी लाभ को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने टाटा ऑयल मिल्स कंपनीज के मामले (1) में निर्धारित सिद्धान्त को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने में गलती की है। इस विवाद में हमारी राय है कि यह सच है कि टाटा ऑयल मिल्स मामले (1) में केवल लेखांकन पद्धति में बदलाव के कारण उत्पन्न तीन लाख रूपये का लाभ बाहरी आय के रूप में माना गया था लेकिन उस मामले से यह पता नहीं चलता है कि पुनर्मूल्यांकन का परिणाम यह था कि कच्चे माल की खपत आदि के मामले में बढ़े हुए मूल्य को ध्यान में रखा गया था। न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी की, जब उसने

टाटा ऑयल मिल्स मामले (1) में अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए आगे बढ़ाया। हालांकि, प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि लाभ और हानि खाते में एक विपरीत प्रविष्टी है और यह दर्शित है कि न्यायाधिकरण डेबिट पक्ष पर पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को नजरअंदाज करने में न्यायाधिकरण सही था, उसी राशि के लिए अर्थात् 3881618 ऋण पक्ष में दर्ज किया गया था और इसलिए उस वर्ष के लिए सही सकल लाभ पर पहुंचने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। हम यह समझ नहीं पाये हैं कि क्रेडिट पक्ष पर इस प्रविष्टी का वर्ष के लिए सकल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है और न ही प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता हमें स्थिति स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम हुए हैं। हमारी राय है कि इस मामले पर गौर करने की आवश्यकता है और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है। पुनर्मूल्यांकन लागत पर कच्चे माल के मूल्यांकन आदि को उपभोग के रूप में डेबिट पक्ष पर दिखाने से वास्तविक लाभ वास्तव में कैसे प्रभावित हुआ। इसलिए मामले की आगे जाॅच की जाएगी। लेकिन यह जोड़ा जा सकता है कि यदि स्टाॅक का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो डेबिट पक्ष पर पुनर्मूल्यांकन लागत को उपभोग के रूप में दिखाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वास्तव में पुनर्मूल्यांकन वह मूल्यांकन नहीं है जो मिलों ने उपभोग किए गए कच्चे माल आदि के लिए भुगतान किया और इसलिए वास्तविक लाभ की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए केवल मूल लागत मूल्य को ही ध्यान में रखना

होगा क्योंकि मिलों के कच्चे माल प्राप्त करने के लिए वास्तव में यही भुगतान किया है। इसके अलावा कागज की बिक्री पर कमाया गया लाभ कागज के स्टाॅक के मूल मूल्यांकन पर होना चाहिए, न कि पुनर्मूल्यांकन आंकड़े पर, जो कि कागज बनाने की मिलों की लागत नहीं थी। अंततः इस बात पर भी विचार करना होगा कि उस वर्ष के लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर तथाकथित विपरीत प्रविष्टी का क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्या करने के लिए उस वर्ष के लिए सही लाभ पहुंचे और ठीक स्थिति के बाबत विशेषज्ञ की आवश्यकता हो सकती है और इसीलिए न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रतिप्रेषण की आवश्यकता होगी क्योंकि रिकाॅर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है।

(2) इस शीर्ष के तहत तर्क यह है कि आयकर की गणना करते समय न्यायाधिकरण ने केवल काल्पनिक सामान्य मूल्य ह्रास को ध्यान में रखा है, न कि वैधानिक मूल्य ह्रास को, जैसा कि उसे करना चाहिए था। इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा श्री मीनाक्षी मिल्स लि. बनाम कामगार में विचार किया गया था और फिर से एसोसिएटेड सीमेट कंपनीज के मामले में विचार किया गया था और यह बदलाव किया था कि आयकर की गणना में आयकर अधिनियम द्वारा नियोक्ता को दी गई रियायतों और मूल्य ह्रास के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(2) (vi) के तहत दी गई अनुमति को न्यायाधिकरण को ध्यान में रखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय

की रिपोर्ट के पृष्ठ 962 पर शब्द "नहीं" गलती से मुद्रित हो गया है और इस न्यायालय ने तब जो निर्णय लिया, वह यह था कि देय कर राशि की गणना करते समय न्यायाधिकरण को आयकर अधिनियम द्वारा दी गई रियायतों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में यह मुद्रित हो गया कि न्यायाधिकरण को रियायतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह आयकर की गणना से स्पष्ट होगा, जो पृष्ठ 994 पर किया गया है। चार्ट 5 से प्रकट होता है कि उस मामले में अनुमानित सामान्य मूल्य ह्रास 100.22 लाख रूपये था। उस चार्ट के नीचे नोट ए आगे दर्शाता है कि आयकर के रूप में कटौती की जाने वाली राशि पर पहुंचने पर, वैधानिक मूल्य ह्रास राशि 165.49 लाख सकल लाभ में से कटौती की गई थी और शेष राशि पर देय आयकर की गणना की गई। हम यह जोड़ सकते हैं कि एक सुधार पर्ची बाद में जारी की गई थी। वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से अनुमानित सामान्य मूल्य ह्रास में कटौती के बाद आयकर की गणना की है, न ही वैधानिक मूल्य ह्रास के बाद। अपीलार्थीगण का यह तर्क है कि वैधानिक मूल्य ह्रास, यद्यपि अधिक है। प्रत्यर्थी, अपीलार्थीगण के स्तर का खण्डन करने में सक्षम नहीं है। हालांकि रिकार्ॅड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन वर्षों के दौरान वैधानिक मूल्य ह्रास की सही राशि कितनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों की ओर से सभी चार वर्षों के लिए गणना पत्रक लगाये गये थे या रखे गये थे, जिसके अनुसार वैधानिक मूल्य ह्रास में मूल्य ह्रास से कहीं अधिक था जो न्यायाधिकरण द्वारा देय

आयकर तक पहुंचने में सकल लाभ से काटा गया था लेकिन चूंकि अपीलार्थीगण विवादग्रस्त वर्षों के लिए सही वैधानिक मूल्य ह्रास को साबित करने के लिए अपने स्वयं के चार्ट से परे किसी भी साक्ष्य को इंगित करने में असमर्थ है। इसलिए हमारे लिए ऐसे साक्ष्य के अभाव में कटौती की जाने वाली आयकर की सही राशि की गणना करना संभव नहीं है। इसलिए इस मामले पर और साक्ष्य लाने के लिए मामले को न्यायाधिकरण में वापस जाना होगा और फिर सकल लाभ से वैधानिक मूल्य ह्रास से कटौती के बाद आयकर के रूप में देय राशि पर पहुंचना होगा।

(3)अपीलार्थीगण की ओर से इस संबंध में तीन तर्क उठाये गये हैं। अब यह अच्छी तरह सुस्थापित है कि बैंलेस शीट को इस दावे के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि भण्डार का कितना हिस्सा और भण्डार के एक हिस्से का कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग नियोक्ता द्वारा साक्ष्य के माध्यम से या अन्यथा श्रमिकों को प्रतिपरीक्षा द्वारा ऐसे साक्ष्य की शुद्धता को चुनौती का अवसर देने के बाद साबित किया जाना चाहिएः(देखें पेटलैड तुर्की रेड डाई वर्क्स लि. बनाम डाईस व रायायनिक श्रमिक संघ(1)। वर्तमान मामले में जो हुआ वह यह था कि प्रत्यर्थी के लेखाकार कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किये जाने वाले भण्डार तक पहुंचने के लिए दो वैकल्पिक गणनाएं दी। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा यह दिखाने के लिए दो आंकड़े दिये गये थे कि वास्तव में क्या भण्डार थे।

इसके अलावा लेखाकार के अनुसार निचले आंकड़े उन परिसम्पत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तुरन्त तरल नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि उच्च आकड़ा व्यवसाय में निवेश की गई नकदी और उपलब्ध होने वाली तरल नकदी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह राशि कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध थी और इसका वास्तव में इन वर्षों के दौरान उपयोग किया गया था। इस खरीद की कोई प्रभावी प्रतिपरीक्षा नहीं थी। हालांकि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण की ओर से यह दावा किया गया था कि निचले आंकडों को वास्तविक कार्यशील पूंजी के रूप में लिया जाना चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा ही किया गया। हमें यह कहना चाहिए कि यह अजीब लगता है कि प्रत्यर्थी को प्रत्येक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में दो आंकड़े पेश करने चाहिए। हमें इस बिन्दु पर अधिक सकारात्मक साक्ष्य की उम्मीद करनी चाहिए थी जो एक आकड़ा दिखाता क्योंकि वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किये जाने वाले भण्डार को केवल एक आकड़े द्वारा दर्शाया जा सकता था। हालांकि लेखाकार ने शपथ ली कि राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया था और उनकी शपथ स्पष्ट रूप से दोनों आंकडों के संबंध में थी। अन्त में प्रत्यर्थी कम आंकडा लाने के लिए सन्तुष्ट था। हमारी राय में यह साबित करने का सही तरीका नहीं है कि वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी के रूप में वास्तव में कितने भण्डार का उपयोग किया गया था और हमें इस उद्देश्य के लिए

नियोक्ताआेंं द्वारा एक ठोस आंकड़ा दिये जाने की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा इस बिन्दु पर कोई प्रभावी जिरह नहीं की गई थी। इसलिए हम कार्यशील पूंजी पर ब्याज को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करेंगे। चूंकि हम मामले को प्रतिप्रेषित कर रहे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा समुचित साक्ष्य दिये जाएंगे।

कार्यशील पूंजी की गणना के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से अगला बिन्दु यह है कि कार्यशील पूंजी के आंकडे पर पहुंचने में निवेश को ध्यान नहीं रखा जा सकता है। व्यापक रूप में कहें तो अपीलार्थीगण का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिनमें कार्यशील पूंजी के रूप में निवेश का उपयोग किया गया हो। जबकि सामान्य रूप से ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिनमें निवेश का उपयोग नहीं किया गया हो और यह उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करेगा कि क्या निवेश वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए, जहाँ किसी विशेष वर्ष की शुरूआत में निवेश एक प्रकार का था और वही निवेश वर्ष के अन्त में बिना किसी परिवर्तन के दिखाई देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि निवेश की गई राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है। हम इसे एक काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि वर्ष की शुरूआत में नियोक्ता ने 20 लाख रूपये के 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण की सरकारी प्रतिभूतियों में प्रवेश किया है और वर्ष के अन्त में भी वही निवेश उसी रूप में जारी रहता है

अर्थात् 20 लाख रूपये के लिए 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण उन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस निवेश का उपयोग वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है। दूसरी ओर जहाँ वर्ष के दौरान निवेश की प्राप्ति हुई है और वह वास्तविक रूप से कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है, वहां यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि ऐसा हुआ है और फिर कार्यशील पूंजी के रूप में प्राप्त और उपयोग किये गये निवेश को वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी का हिस्सा माना जा सकता है। यदि ऐसी कोई बात हुई है तो बैंलेस शीट दिखाई जाएगी कि उदाहरणार्थ वर्ष की शुरूआत में निवेश में 20 लाख रूपये के लिए 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण शामिल था। लेकिन वर्ष के अन्त में इसमें रूपये के लिए 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण शामिल था। 5 लाख रूपये जो दिखाएगा कि रूपये निवेश में से 15 लाख रूपये का कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया होगा। इस तरह जहाँ निवेश को व्यवसाय के उद्देश्य की सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है भले ही उनमें कोई परिवर्तन न हो। यह दिखा सकता है कि गिरवी रखे गये निवेश का, हमेशा कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया गया है। इसलिए यह प्रश्न कि क्या निवेश का उपयोग वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है, तथ्य का प्रश्न है, क्या उनका इस प्रकार उपयोग किया गया है। इसके समर्थन में साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी द्वारा दिखाना होगा। हालांकि वर्तमान मामले में ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण द्वारा यह मान लिया गया है कि सभी निवेशों का उपयोग कार्यशील पूंजी के

रूप में किया गया है और हमारी राय में यह सही नहीं है इसलिए मामले को यह पता लगाने के लिए वापस जाना होगा कि वास्तव में किसी निवेश का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया था।

इस शीर्ष के तहत अंतिम तर्क यह है कि कतिपय अग्रिमों को भी कार्यशील पूंजी के रूप में ध्यान रखा गया है और यह अनुमति योग्य नहीं है। यहाँ फिर से अपीलार्थीगण के तर्क को इतने व्यापक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कतिपय अग्रिम ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया हो। जबकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया हो। जहाँ कच्चे माल आदि प्राप्त करने के लिए अग्रिम दिया गया है वे निश्चित रूप से कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि का हिस्सा होंगे। दूसरी ओर जहाँ अग्रिम पूरी तरह से ऋण है और वर्ष के दौरान वसूल नहीं किये गये हैं और वही अग्रिम, जो वर्ष की शुरूआत में दिखाई देते हैं, वर्ष के अन्त में उसी व्यक्ति को जारी रहते हैं और अग्रिम इस उद्देश्य के लिए नहीं दिये गये हैं। व्यवसाय के मामलों में ऐसे अग्रिमों को कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा निवेश के मामले में, यदि वर्ष के दौरान अग्रिम राशि प्राप्त की गई है और प्राप्त राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है तो इसे दिखाने के लिए साक्ष्य देना होगा। लेकिन वर्तमान मामलों में ऐसा लगता है कि कार्यशील पूंजी के हिस्सों के रूप में सामूहिक रूप से अग्रिम राशि ली गई है और हमारी राय

में यह सही नहीं है।

इसलिए इसका परिणाम यह है कि कार्यशील पूंजी और उस पर दिये जाना वाला ब्याज का निर्धारण के प्रश्न पर हमारे द्वारा यहाँ की गई टिप्पणियों के प्रकाश में पुनर्विचार करना होगा।

(4).अब हम पुनर्वास के प्रश्न पर आते हैं। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण को विचार करने का अवसर मिले।

वर्ष 1954-55 के लिए प्रत्यर्थी मिलों के संबंध में पुनर्वास का प्रश्न अर्थात् अब विवाद ठीक चार साल पहले का है, उस अवसर पर न्यायाधिकरण ने पाया कि पुनर्वास के लिए आवश्यक कुल राशि 43.39 लाख प्रतिवर्ष थी किन्तु विवाद के इन चार वर्षों में न्यायाधिकरण ने 1955-56 में इस राशि को बढ़ाकर 63.56 लाख रूपये और 1956-57 में 67.66 लाख कर दिया। वर्ष 1957-58 और 1958-59 के लिए न्यायाधिकरण ने पुनर्वास राशि को केवल 1939 से पहले के ब्लाॅक के लिए क्रमशः 64.59 लाख और 64.71 लाख रूपये पाया है। अपीलार्थीगण का तर्क है कि ये गणना गलत है और पुनर्वास गणना एक दीर्घकालिक मामला है और 1954-55 की तुलना में पुनर्वास राशि में वृद्धि का कोई कारण नहीं था क्योंकि चार वर्षों के दौरान कीमतों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ था। 1954-55 के बाद अस्तित्व में आये नये ब्लाॅकों के कारण पुनर्वास में थोड़ी वृद्धि हुई होगी। फिर भी यह आग्रह किया जाता है कि न्यायाधिकरण दो आधारभूत त्रुटियों में पड़ गया और इस तरह वह वर्ष 1954-55 की तुलना में विवादित वर्षों के लिए पुनर्वास के इतने बढ़े हुए आंकडों पर पहुंच गया। प्रथम-आधारभूत त्रुटि यह बताई गई कि न्यायाधिकरण ने पुनर्वास के रूप में पिछले वर्षों के लिए पहले से ही अनुमति दी गई चीजों को ध्यान में नहीं रखा और पुनर्वास की गणना इस तरह से की, जैसे कि पिछले वर्षों के लिए पुनर्वास के लिए कुछ भी अनुमति नहीं दी गई थी जिसका स्वाभाविक रूप से वर्ष दर वर्ष पुनर्वास राशि को बढ़ाने का प्रभाव होगा। दूसरी-आधारभूत गलती

यह बताई गई कि न्यायाधिकरण ने पुनर्वास के लिए उपलब्ध सभी आरक्षित निधियों का श्रेय नहीं लिया। जैसा कि उसे करना चाहिए था जिसके परिणाम स्वरूप उसे मिलने वाली पुनर्वास राशि बढ गई।

हमारी राय है कि इस तर्क में बल है और न्यायाधिकरण निःसंदेह दोनों मामलों में गलती में पड़ गया। प्रथम स्थान पर पुनर्वास का निर्धारण एक दीर्घ मामला है और एक बार यह निर्धारित हो जाने के बाद सिवाय कीमतों में अचानक उल्लेखनीय वृद्धि के या नये ब्लाॅक जोड़े जाने और खरीद के बाद कीमतों में और वृद्धि के मामले को छोड़कर इसमें साल दर साल वृद्धि नहीं हो सकती है। नए ब्लाॅको का, जैसा कि एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज मामले (1) में बताया गया था। न्यायाधिकरण के पुनर्वास के संबंध में उचित राशि देने से पहले (1) ब्रेकडाउन मूल्य के कारण, (2) मूल्य ह्रास विशिष्ठ उद्देश्यों के लिए उचित रूप से निर्धारित सामान्य तरल भण्डार के अलावा नियोक्ता के लिए उपलब्ध मूल्य ह्रास और सामान्य तरल भण्डार और (3) पुनर्वास राशि के कारण जो पिछले वर्षों में नियोक्ता को अनुमति दी गई थी और इस बीच अप्रयुक्त रह गई थी, ऐसा प्रतीत होता है वर्ष 1954-55 में पुनर्वास के लिए उस वर्ष का शुद्ध आंकड़ा उस वर्ष के लिए मूल्य ह्रास की अनुमति देने के बाद रूपये 33.39 लाख और अन्य पूर्व शुल्कों में कटौती के बाद उपलब्ध अधिशेष केवल 24.46 लाख रूपये के मुआवजे के बावजूद न्यायाधिकरण ने कामगारों को कोई बोनस नहीं दिया। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि उस वर्ष के लिए 33.39 लाख रूपये

में से पुनर्वास के लिए नियोक्ता के पास पुनर्वास के रूप में 24.46 लाख रूपये बचे थे। ऐसा लगता है कि न्यायाधिकरण ने विवादित वर्षों के लिए पुनर्वास की गणना करते समय इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज मामले (1) में बताया गया है। सभी पुनर्वास राशि जो पिछले वर्षों पुनर्वास के लिए नियोक्ता को दी गई थी किन्तु इस बीच पुनर्वास के लिए अप्रयुक्त रही, को गणना में शामिल किया जाना चाहिए। पुनर्वास के लिए आवश्यक राशि, उसी परिणाम पर दूसरे तरीके से पहुंचा जा सकता है। बशर्ते कि कीमत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि न हो, एक बार पुनर्वास राशि लेने के बाद और इसमें ऐसी रकम जोड दी जाए, जो नये ब्लाॅकों के लिए पुनर्वास के लिए देय हो, ऐसी भी राशियां, जो पिछले वर्षों में नियोक्ता के हाथों में नहीं छोड़ी गई हों। क्योंकि अन्य सभी पूर्व शुल्कों की अनुमति के बाद उसके हाथ में उपलब्ध अधिशेष देय पुनर्वास राशि से कम था। किसी भी मामले में न्यायाधिकरण ने विवादग्रस्त वर्षों के लिए पुनर्वास राशि की गणना करते समय पिछले वर्षों में अनुमत पुनर्वास राशि को ध्यान में नहीं रखा। निश्चित रूप से गलत था।

दूसरी त्रुटि, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित तरल भण्डार के अलावा अन्य उपलब्ध तरल भण्डार में से कटौती करने के मामलों में न्यायाधिकरण द्वारा की गई। इस मामले में न्यायाधिकरण ने, जो किया वह यह था कि उसने उपलब्ध तरल भण्डार को ठीक से ध्यान में नहीं रखा

और उसे उसके द्वारा पाई गई पुनर्वास राशि से काट लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने माना कि कार्यशील पूंजी की, जो भी राशि थी, उसे उसके द्वारा प्राप्त सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता था और इस संबंध में खानदेश एसपीजी. व डब्ल्यूवीजी. मिल्स कंपनी लि. बनाम द राष्ट्रीय गिरनी कामगार संघ जलगांव में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई और उस मामले में नियोक्ता ने दावा किया कि बैंलेस शीट के पता चलता है कि सम्पूर्ण भण्डार का उपयोग कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया था और परिणाम स्वरूप ऐसे भण्डार को पुनर्वास के दावे से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह माना गया कि नियोक्ता यह साबित करने में विफल रहा कि भण्डार का उपयोग वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया था और इस तरह पुनर्वास के लिए तय की गई राशि से औधोगिक न्यायालय द्वारा राशि की कटौती की गई थी। हमारी राय में उस मामले के अनुपात को गलत समझा गया है। वह मामला यह निर्धारित नहीं करता है कि यह राशि, जिस पर कार्यशील पूंजी के रूप में ब्याज पर अनुमति है। शुद्ध पुनर्वास राशि पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित सकल पुनर्वास राशि से कटौती नहीं की जा सकती है। उस मामले में, जो निर्णय लिया गया वह यह था कि इस तरह पहले की किसी विशेष रिजर्व को पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं कहा जा सके कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि इसे एक बाध्यकारी या सम्पूर्ण या एक के लिए उचित रूप से निर्धारित किया गया है।इसका एक

हिस्सा कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया गया है और कहा जा सकता है कि दोनों में से किसी भी शीर्ष के तहत आने वाले भण्डार का केवल ऐसा हिस्सा ही पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि आरक्षित राशि किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई है जो बाध्यकारी है और उसे पूरी किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ देय होने पर डिवेन्चर का भुगतान करने के लिए रिजर्व में रखी गई राशि, तो इसे सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा जब उस मामले में कहा गया है कि सम्पूर्ण या आंशिक भण्डार जिसका उपयोग वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया है, को सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह धन जो अगले कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है, उसे भी सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी यदि हम इंगित करें कि कार्यशील पूंजी की मात्रा आम तौर पर जो किया जाता है वह प्रासंगिक वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की तरल सम्पत्तियों को ध्यान में रखना होता है और वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध सम्पत्तियों की कुल राशि में वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी मानी जाती है। इसका प्रमाण यह है कि इसका उपयोग वास्तव में वर्ष के दौरान किया गया है लेकिन जब हम वर्ष के अन्त में आते हैं और बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें वर्ष के अंत में उपलब्ध तरल सम्पत्तियों का पता लगाना होता है जिससे अगले वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध राशि

का पता लगाया जा सकता है लेकिन वर्ष के अन्त में उपलब्ध तरल सम्पत्ति आम तौर पर दो प्रकार की होगी; पहला विभिन्न भण्डारों में नकदी सम्पत्तियाँ होगी और दूसरे कच्चे माल आदि के रूप मे परिसम्पत्तियाँ होंगी और दोनों मिलाकर आवश्यक समायोजन के अधीन अगले वर्ष के लिए उपलब्ध कार्यशील पूंजी बन जाएंगी और साक्ष्य के अधीन भी होंगी। वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता था। अब खानदेश एसपीजी. व डब्ल्यूवीजी. काॅ.लि. मामले (1) में क्या निर्धारित किया था। जब यह कहा गया कि जो राशि वास्तव में कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की गई थी, उसे सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता था वह थी, कार्यशील पूंजी का वह भाग जो कच्चे माल आदि के रूप में होता है। कटौती नहीं की जा सकती। हमने जो भेद बताया है वह उस मामले में विचार के लिए नहीं उठता क्योंकि उस मामले में यह माना गया था कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि ऐसे भण्डार का कोई भी हिस्सा वास्तव में कार्यशील पूंजी और इस न्यायालय के रूप में उपयोग किया गया था। सकल पुनर्वास राशि से सम्पूर्ण भण्डार घटाने के औधोगिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। हम एक ठोस उदाहरण लेते हैं तो मामला और स्पष्ट हो जाएगा। वर्ष 1955-56 को लीजिए, अब कार्यशील पूंजी आम तौर पर 1 अप्रैल, 1955 को उपलब्ध तरल तरल भण्डार का पता लगाकर निकाली जाती है। यह तरल पदार्थ विभिन्न प्रकार के भण्डार के रूप में हो सकते हैं। अर्थात् मूल्य ह्रास आरक्षित, सामान्य आरक्षित, नवीकरण

आरक्षित और इसी तरह और इसमें भी स्टाॅक में निवेश और अग्रिम कच्चा माल आदि के रूप में भी आवश्यक समायोजन के बाद कार्यशील पूंजी निकालने में इन सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस प्रकार, निकाली गई कार्यशील पूंजी की राशि, यदि इस बात का सबूत है कि इसका उपयोग वास्तव में वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में किया गया था तो पूर्ण पीठ फाॅरमूले के अनुसार ब्याज की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन फिर हम वर्ष के अंत में आते हैं अर्थात् 31 मार्च, 1956 उस समय हमें फिर से देखना होगा कि भण्डार की स्थिति क्या होती है। भण्डार फिर से नकदी भण्डार या निवेश या अग्रिम के रूप में और कच्चे माल आदि के रूप में भी हो सकता है। इन भण्डार से अगले वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी की गणना करनी पड सकती है और यदि साक्ष्य दिया जाता है कि इसका वास्तव में उपयोग किया गया है, उस पर ब्याज देना पड़ सकता है लेकिन आरक्षित निधि के उस हिस्से को नकदी आरक्षित, निवेश या अग्रिम के रूप में है, उस आधार पर कटौती न करने का कोई कारण नहीं है कि यह पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे वर्ष 1956-57 के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। केवल भण्डार का वह हिस्सा कच्चे माल आदि के रूप में है, या पहले ही संकेतित है। पुनर्वास के प्रयोजन के लिए कटौती नहीं की जा सकती है क्योंकि यह उद्देश्य के लिए उपलब्ध नहीं होगा। और अगले वर्ष के दौरान उपभोग या बेचा जाएगा या किसी विशिष्ठ उद्देश्यों के लिए उपयोग

किया जाएगा लेकिन अन्य सभी भण्डार 31 मार्च, 1956 को पुनर्वास के लिए उपलब्ध है और वर्ष के लिए सकल पुनर्वास राशि से कटौती की जानी है। हालांकि, इस मामले में न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के प्रभाव की गलत सराहना पर इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। खानदेश एसपीजी. व डब्ल्यूवीजी. काॅ. मामले(1) उस निर्णय में बस इतना कहा गया है कि भण्डार का वह हिस्सा जो कार्यशील पूंजी बनाने के लिए जाता है जो कच्चे माल आदि के आकार में होता है या निर्धारित आरक्षित राशि को सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जाएगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि मूल्य ह्रास आरक्षित, सामान्य आरक्षित, नवीकरण आरक्षित इत्यादि के रूप में निवेश और अग्रिम के रूप में सभी नकदी भण्डार को सकल पुनर्वास राशि से नहीं काटा जा सकता है क्योंकि उन्हें अगले कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर जो कहा है कि उसके मद्देनजर न्यायाधिकरण को देय पुनर्वास राशि की पुनर्गणना करनी होगी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोनस के दावे के निर्णय में पहले से ही देरी हो चुकी है। हम न्यायाधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह दोनों पक्षों को और सबूत पेश करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद इस फैसले में की गई टिप्पणियों के अनुसार उपलब्ध अधिशेष की पुनर्गणना करे। इस न्यायालय को रिकाॅर्ड प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर निष्कर्ष प्रस्तुत करना होगा। जब न्यायाधिकरण के निष्कर्ष

प्राप्त हो जाएं तो नोटिस प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पक्षकारों को आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद अपीलों के अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

मामला प्रतिप्रेषित किया गया है।

नोट : यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी मोहित दुवेदी (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देष्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देष्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देष्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।